कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट)एवं उनसे जुडे पहलुओं'' पर पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को होगी एक दिवसीय कार्यशाला

जयपुर 8 मई। ''**स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम 1985** (एनडीपीएस एक्ट) **एवं उनसे जुड़े पहलुओं पर पुलिस मुख्यालय सभागार में मंगलवार को** प्रातः 10 बजे राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। पुलिस की अपराध शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के **मुख्यातिथि पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट होंगे।**

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री देव ज्योति रे, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेन्स के अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मिश्रा एवं प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक श्री जगदीश खींचड कार्यशाला के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि कार्यशाला के दूसरे सत्र को ADJ,MACT, सवाईमाधोपुर श्री राघवेन्द्र काछवाल, आबकारी विभाग, राजस्थान के अतिरिक्त आयुक्त श्री बाल मुकुन्द असावा तथा बीएसएफ 68 बटालियन के अधिकारी श्री राजेश कुमार व सीनियर महाधिवक्ता श्री संधु संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार महानिरीक्षक पुलिस,एसओजी श्री एम. एन. दिनेश तथा मध्य प्रदेश इन्दौर के नारकोटिक्स के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री वरूण कुमार, गुजरात पुलिस के नारकोटिक सेल के प्रभारी पीपी फिरोजिया एवं पंजाब पुलिस के अधिकारी सहित प्रदेश के झालावाड, बारां, कोटा शहर व ग्रामीण, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, पाली व जोधपुर (ग्रामीण) आदि जिलों के पुलिस अधीक्षक भी सम्मलित होंगे, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के अपराधों में ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं। वे तीसरे सत्र को संबोधित करेंगे।

कार्यशाला के समापन में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस व एसओजी श्री उमेश मिश्रा अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम के समापन की घोषणा महानिदेशक पुलिस कारागार श्री अजीत सिंह करेंगे।

राही/मनीष/अमन/374/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कृपया कार्यक्रम की कवरेज हेतु आपके चैनल/अखबार के फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर को भिजवाने का श्रम करें।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध डोडा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार व मोटरसाईकिल बरामद

जयपुर 8 मई । बाडमेर पुलिस ने केरली फांटा नौसर पर देर रात दौराने नाकाबन्दी केरली के तरफ से आ रही एक मोटर साईकिल को नाकबंदी पॉंईट के पास रूकवाने का प्रयास किया लेकिन मोटर साईकिल सवार ने पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस पर बायतु पुलिस जाब्ता द्वारा पीछा कर घेरा देकर दस्तयाब करने पर उससे अवैध डोडा पोस्त मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाईकिल बरामद की।

बाडमेर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ श्री गगनदीन सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत श्री रामेश्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के निकट पर्यवेक्षण में श्री ओमप्रकाश उज्जवल वृताधिकारी वृत बाड़मेर के दिशा निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की खास इतिला पर केरली फांटा नौसर पर देर रात दौराने नाकाबन्दी एक मोटर साईकिल केरली के तरफ से आ रही को नाकबंदी पॉंईट के पास पुलिस जाब्ता बावर्दी द्वारा हाथ का इशारा देकर उक्त मोटर साईकिल पर सवार शख्स का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महेश कुमार पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट यसेंवरद्ध उम्र 19 साल निवासी मेकरना पुलिस थाना पचपदरा जिला बाड़मेर का रहने वाला बताया।

उन्होंने बताया कि मोटरसाईकिल चेक करने पर उसके पास एक सफेद कट्टा उसमें भरे पोस्त डोडा चुरा सहित कुल वजन 4 किलोग्राम पाया गया इस पर उक्त मोटरसाईकिल को दस्तयाब कर थाना लाया अभियुक्त महेश कुमार पुत्र श्री खेमाराम को गिरफ्तार कर थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया।

राही/मनीष/अमन/375/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।